

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषय- लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में संवर्गीय पदों का पुनर्गठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1399/111(1)/15-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 23.09.2015, शासनादेश सं0-245/111(1)/15-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 28.02.2015, शासनादेश सं0-2795/111(1)/13-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 26.12.2013, शासनादेश सं0-2054/111(1)/06-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 11.07.01, शासनादेश सं0-1253/111(1)/06-190(पीडब्ल्यूडी)/01 दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या-1768/111(1)/11-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 12.12.11 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया था।

2. कालान्तर में विभागीय कार्यों में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत विभाग द्वारा पत्र संख्या-568/03व्यक-सा0/14, दिनांक 24.03.2015 के माध्यम से संरचनात्मक ढांचे में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रस्ताव का शासन स्तर पर सम्यक परीक्षणोपरान्त निम्न तथ्य स्पष्ट हुये हैं:-

- (1) वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत विभिन्न वाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य प्रचलित हैं। वर्तमान में सिविल कार्यों, पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों, ए0डी0बी0 के कार्यों एवं नावार्ड के कार्यों हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का सृजन किया गया है। वर्ल्ड बैंक, ए0डी0बी0 आपदा के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी के निःसंवर्गीय पद सृजित हैं।
- (2) इसी प्रकार पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी के निःसंवर्गीय एवं संवर्गीय दोनों प्रकार से पद सृजित हैं। पी0एम0जी0एस0वाई0 की योजना ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने के कारण इस संवर्ग के अन्तर्गत सृजित 152 संवर्गीय पदों एवं 76 सृजित निःसंवर्गीय पदों कुल 228 पदों को निःसंवर्गीय पदों में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- (3) चूंकि उपरोक्तानुसार विभिन्न योजनाओं के कार्यों हेतु अलग-अलग स्तर पर विभिन्न अधिकारी इन योजनाओं के निर्माण कार्यों का सम्पादन करा रहे हैं, अतः इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि फील्ड स्तर पर सभी वाह्य सहायतित कार्यक्रमों का एकीकरण किया जायेगा, ताकि प्रचलित निर्माण कार्यों का परीक्षण, अनुश्रवण सुचारु रूप से सम्पादित हो सके।

१

3. अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुये पूर्व शासनादेश दिनांक 12.12.2011, 26.12.2013, 19.05.2014, 30.06.2014, 28.02.2015 एवं 23.09.2015 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष निम्नांकित संवर्गीय पदों के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ-4 के सापेक्ष स्तम्भ-5 के अनुसार संवर्गीय पदों की प्रचलित वेतनमान में पुनरीक्षित सृजन/अतिरिक्त पद सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नवीन पुनर्गठन के अन्तर्गत सृजित पद एवं दायित्व:-

क. सं.	पद का नाम	वेतनमान (₹ में)	पूर्व में सृजित पदों की संख्या (PMGSY) को घटाकर	नवीन सृजित पदों की संख्या		अभ्युक्ति
				संवर्गीय	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	15600-39100 ग्रेड पे0 रु 7600	18	03	21	विभागाध्यक्ष कार्यालय में ब्रिज सैल हेतु 01 पद, 02 ए0डी0बी0, यू0एस0आर0आई0पी0 के निःसंवर्गीय से संवर्गीय हेतु सृजित।
2.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	15600-39100 ग्रेड पे0 रु 6600	90	03	93	03 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु (01 पद स्लोप स्टबलाईजेशन, 02 क्वालिटी ऑडिट हेतु सृजित)।
3.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600-39100 ग्रेड पे0 रु 5400	353	12	365	10 पद पर्वतीय जिलों के खण्ड, अस्कोट, डीडीहाट, कपकोट, थराली, गोपेश्वर एवं 02 पद मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यों हेतु सृजित।
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड पे. रु 4600	877	11	888	10 पर्वतीय जिलों के खण्ड, अस्कोट, डीडीहाट, कपकोट, थराली, गोपेश्वर एवं 01 पद मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यों हेतु सृजित।
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4600	100	12	112	01 पद पूर्व सृजित खण्ड, पाबौ हेतु, 02 पद पूर्व सृजित रा0मा0 खण्ड, श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग, 01 पद ए0डी0बी0 खण्ड, दुगडडा, 03 पद पूर्व सृजित सिविल वृत्त, चम्पावत, बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग, 02 पूर्व सृजित ए0डी0बी0 वृत्त, टिहरी एवं पिथौरागढ हेतु 02 पूर्व सृजित रा0मा0 वृत्त हेतु 01 पद क्षेत्रीय कार्यालय रा0मा0 देहरादून हेतु। पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड एवं वृत्तों हेतु पूर्व से सृजित 07 पदों को अन्य सिविल/रा0मा0/वृत्तों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी के दृष्टिगत पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्थान पर उक्त कार्यालयों हेतु यथावत रखा जा रहा है।
6.	मानचित्रकार	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4200	88	19	107	05 पूर्व सृजित खण्ड, पाबौ, गौरसैण, गुप्ताकाशी, रा0मा0 खण्ड, श्रीनगर, रा0मा0 खण्ड, रुद्रप्रयाग, 01 पूर्व सृजित ए0डी0बी0 खण्ड, दुगडडा, 03 पूर्व सृजित सिविल वृत्त, बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, 04 पूर्व सृजित जोन, देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ, टिहरी, 02 पूर्व सृजित रा0मा0 वृत्त, देहरादून एवं हल्द्वानी, 02 पूर्व सृजित ए0डी0बी0 वृत्त, टिहरी एवं पिथौरागढ, 02 पूर्व रा0मा0 जोन देहरादून एवं हल्द्वानी हेतु सृजित। पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड एवं वृत्तों हेतु पूर्व से सृजित 07 पदों को अन्य सिविल/रा0मा0/वृत्तों में

						मानचित्रकार की कमी के दृष्टिगत पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्थान पर उक्त कार्यालयों हेतु यथावत रखा जा रहा है।
7.	सहायक भू-वैज्ञानिक	15600-39100 ग्रेड पे0 रु0 5400	04	02	06	02 नवसृजित जोन पिथौरागढ़ एवं टिहरी हेतु सृजित।
8.	विधि सहायक	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4200	05	03	08	03 नवसृजित जोन टिहरी, पिथौरागढ़ एवं देहरादून हेतु सृजित।
9.	सहायक रोध अधिकारी	15600-39100 ग्रेड पे0 रु0 5400	00	02	02	पूर्व सृजित 02 निःसंवर्गीय/आऊट सोर्सिंग के पदों को संवर्गीय में सृजित किया गया है। क्योंकि कनिष्ठ सहायक, रसायनज्ञ का पद संवर्गीय है तथा इनकी पदोन्नति का पद सहायक रोध अधिकारी है।
10.	अमीन	5200-20200 ग्रेड पे. रु0 2000	122	23	145	06 नवसृजित खण्ड, पाबौ, गौरसैण, लक्सर, एवं रा0मा0 खण्ड, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर एवं डोईवाला प्रत्येक खण्ड हेतु 02-02 पद एवं 11 ए0डी0बी0 खण्डों हेतु 01-01 पद सृजित।

मुख्य अभियन्ता संवर्ग

	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4600	26	03	29	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01-01 पद सृजित।
	प्रधान सहायक	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4200	27	03	30	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01-01 पद सृजित।
	वरिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड पे. रु0 2800	45	03	48	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01-01 पद सृजित।
	कनिष्ठ सहायक/	5200-20200 ग्रेड पे. रु0 2000	49	06	55	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 02-02 पद सृजित।
	वैयक्तिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4600	05	03	08	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01-01 पद सृजित।

खण्डीय संवर्ग

	खण्डीय लेखाकर	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4200	54	27	81	वर्ष 2001 के बाद सृजित 08 सिविल खण्ड, 06 रा0मा0 खण्ड 02 विद्युत/यांत्रिक खण्ड एवं 11 ए0डी0बी0 खण्डों इस प्रकार कुल 27 खण्डों हेतु 01-01 पद सृजित।
	वैयक्तिक सहायक	5200-20200 ग्रेड पे. रु0 2800	41	05	46	05 नवसृजित खण्ड, लक्सर, डोईवाला, पोखरी, पाबौ एवं गौरसैण हेतु 01-01 पद सृजित।

4. इस प्रकार शासन के उपरोक्त पूर्व शारानादेश सं0-1399/।।।(1)/15-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 23.09.2015, शासनादेश सं0-245/।।।(1)/15-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 28.02.2015, शासनादेश सं0-2795/।।।(1)/13-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 26.12.2013, शासनादेश सं0-2054/

111(1)/06-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 11.07.01, शासनादेश सं०-1253/111(1)/06-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या-1768/111(1)/11-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 12.12.11 में सृजित पदों में उक्तानुसार परिवर्तन एवं उक्तानुसार अतिरिक्त पद सृजन किये जा रहे हैं। प्रश्नगत शासनादेशों में सृजित अन्य पद, जो इस शासनादेश में उल्लिखित नहीं हैं, पूर्व की भांति यथावत् रहेंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-2059, लोक निर्माण कार्य-80 सामान्य-001 निदेशन तथा प्रशासन-03 निदेशन तथा 051 निर्माण-03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-188/XXVII(2)/15, दिनांक 11, दिसम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या:- 1813/111(1)/15-190(PWD)/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1, एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-2/7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव